अवमाननावाद सुनवाई दिनांक-12.07.2016

संख्या-135/2016/आर-3039/26-3-2016-69(रिट)/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-6850/2014 तपन कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-8223/2014 जलज गौतम बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक-12-01-2016 तथा अवमानना याचिका संख्या-360(सी)/2016 जलज गौतम बनाम यशराज टौगिंया व अन्य में विपक्षी संख्या-4 श्री सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत पारित मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-29.02.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-817/सक/शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-05.07.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.01.2016 के अनुपालन में याची अनुसूचित जाति छात्रों की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल देय धनराशि रूपया-20,49,850/- (रूपया बीस लाख उनचास हजार आठ सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0 संख्या-135/2016/आर-3039(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in